an>

Title: Need to give permission to wipe out vilayati babul or Prosopis juliflora in Rajasthan and other States - Laid.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): वर्तमान में राजस्थान राज्य के चारागाह में एवं अन्य कई राज्यों में विलायती/अंग्रेजी बबूल तीव्रता से बढ़ रहे हैं और इनकी उपयोगिता नाम मात्र की है । राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक एफ-15(33) फोरेस्ट 98-जयपुर, दिनांक 24.07.2016 के द्वारा वन क्षेत्रों से बाहर अंग्रेजी बबूल की झाड़ी काटने तथा कोयला बना कर परिवहन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें स्थानीय पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही स्वीकृति जारी करने तथा परिवहन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति दी गई है । राजस्थान राज्य में अंग्रेजी बबूलों को वन क्षेत्र के अलावा जड़ से काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है ।

इन पेड़ों की लकड़ियों की उपयोगिता माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के तहत अब सिवाय कोयला बनाने के अलावा किसी काम की नहीं रही है । राजस्व भूमि में भी जहां पर इनको काटने की छूट दी गई है, वहां भी इनका जड़ सहित उन्मूलन की कोई छूट नहीं है । मात्र काटने की ही छूट दी गई है, जिसका दुष्प्रभाव यह होता है कि आगामी वर्षा ऋतु में इनके एक पेड़ से कई टहनियां विकसित हो जाती हैं, जिससे चारागाह क्षेत्र घास विहीन होते जा रहे हैं एवं ये पेड़ मच्छरों को पनपने के लिए सहायक बन जाते हैं । इससे मलेरिया, डेंगू इत्यादि जैसी कई बीमारियां फैलने की संभावनायें बनी रहती हैं । इस संबंध में मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमंद की जैतारण विधान सभा के कृषकों द्वारा भी इन पेड़ों को जड़ से काटने की छूट दिलाने का निवेदन किया था ।

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विलायती/अंग्रेजी बबूल (Prosopis Juliflora) को जड़

सहित राजस्थान राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी निकालने का आदेश प्रसारित कराने का श्रम करावें ।